

**फर्द अहकाम**  
फूलचन्द बनाम राकेश्वर

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर  
केस संख्या 43/2025

(टी. भाई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/09/25	पूर्व से जारी अन्तरिम स्थान के हंडमैंट के किसी प्रकार की कोई उच्च आपत्ति हो सकेगी कि नहीं है अतः व्यापकित के अन्तर्गत अनाथ व बहल अनाथ टी. भाई - हुं नरु निर्देश व अधीन दिया जाता है कि आगामी तारीख पर आवश्यक रूप से अनाथ व बहल आया टी. भाई - अथवा अन्तरिम स्थान के हंडमैंट के किसी भी प्रकार की कोई मान्य उच्च आपत्ति उत्पन्न नहीं होने पर आर्थनामा टी. भाई - का तथ्यों के अन्तर्गत अथवा कितनाप कर दिया जायेगा। पत्रावली करते अनाथ व बहल आर्थनामा टी. भाई - दिनांक 03/10/25 को देखा है।
	03/10/25	पत्रावली देखा हुई। अधिवक्तागण उच्च न्याय उपास्थित। आर्थनामा प्रतिक्रिया की क्रम से उपस्थिति दिनांक 28/8/25 के अन्तर्गत में गत अद्वैतानुसार पालना अनाथ आर्थनामा टी. भाई - बहल नहीं किया गया है, ना ही पूर्व के अन्तरिम स्थान के अद्वैत दिनांक 01.07.25 के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई मान्य/कोपचाकि आपत्ति हो उत्पन्न की गई है। इतने ही आर्थनामा को कितनाप अनाथ की दिनांक जति रहे है। अतः उपरान्त नरु/अधीन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

**फर्द अहकाम**  
फूलचन्द बनाम राकेश्वर

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर  
केस संख्या 43/2025

(टी. भाई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/10/25	पत्रावली टी. भाई - के तथ्यों का किसी भी स्वर पर किसी भी रूप से कोई मान्य/कोपचाकि रवेण हो उत्पन्न किया गया है। अतः व्यापकित व जाद बहलता के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की उच्च आपत्ति के अनाथ में पूर्व अन्तरिम स्थान के अद्वैत दिनांक 01.07.25 के अन्तर्गत अनाथ स्थान दिया जाता है। निर्णय सुनाया गया।	
		पत्रावली फूलचन्द शुभादेव के नम्बर से पुन है। कलक्टर राकेश्वर यथावत है।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर